प्रेस विज्ञप्ति (1)

डा0 गुरमित सिंह, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित याचिका संख्याः 113 ऑफ 2007 में मा0 श्री नारायण शुक्ला जी, एवं मा0 श्री अशोक पाल सिंह जी की संयुक्त बेंच द्वारा दिनांक 18.05.2016 को अपना निर्णय सुनाते हुए डा0 गुरमित सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायाल के समक्ष योजित उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डा0 गुरमित सिंह के प्रकरण का परीक्षण नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से करते हुए यह फैसला आरक्षित किया गया है कि डा0 गुरमित सिंह की नियुक्ति किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में होल टाईम एनेस्थेटिस्ट के पद पर निश्चेतना विभाग में हुई थी जिसे कालांतर में राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक पद प्रवक्ता में परिवर्तित कर दिया गया था तत्पश्चात् उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप सहायक आचार्य का पदनाम अनुमन्य किया गया था। कलांतर में प्रिंसीपल के0जी0मेडिकल कॉलेज की संस्तुति पर डा0 गुरमित सिंह को चिकित्सा अधीक्षक के पद पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.06.1994 के अनुमोदन से नियुक्त किया गया। डा0 गुरमित सिंह द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहायक आचार्य के पद से कार्यमुक्त किये जाने हेतु दिनांक 02 अगस्त, 1994 को अनुरोध किया गया। बाद में उन्हें चिकित्सा अधीक्षक के पद पर दिनांक 19 जुलाई 1995 को स्थाई किया गया।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि फण्डामेण्टल रूल्स के परिप्रेक्ष्य में कोई सरकारी सेवक एक समय में दो अथवा दो से अधिक स्थाई पद नहीं धारित कर सकता है। वित्तीय हस्त पुस्तिका का नियम 12-ए के अनुसार किसी स्थाई पद पर मौलिक नियुक्ति की जाती है तो उस सरकारी कर्मचारी का लियन मौलिक नियुक्ति वाले पद पर होगी तथा उसके द्वारा पूर्व में किसी अन्य पद पर धारित लियन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय की दृष्टि में डा0 गुरमित सिंह का चिकित्सा अधीक्षक के पद पर नियुक्ति उनके सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की निरंतरता में नहीं है। चिकित्सा

अधीक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति सब्सटेन्टिव नियुक्ति थी जिसका सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से कोई सम्बद्ध नहीं है। उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि तक चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्य किया गया। उनके द्वारा कुलपति से स्वयं सहायक आचार्य के पद से कार्यमुक्त होने हेतु अनुरोध किया गया। चिकित्सा अधीक्षक का पद पूर्णतः गैर शैक्षणिक पद था तथा पूर्णतः प्रशासनिक पद था। अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 49 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप डा0 गुरमित सिंह 62 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त होने के हकदार नहीं थे/है। अतः उनकी याचिका निरस्त की जाती है।

प्रेस विज्ञप्ति (2)

उ0प्र0 सरकार एवं नगर निगम लखनऊ द्वारा आदेश पारित किया गया कि क्वीन मैरी अस्पताल के पीछे पाटानाले से सटी भूमि नगर निगम के आधिपत्य में नहीं आती है। चूँकि यह भूमि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम खसरा/खतौनी में अंकित है। इसलिये जनहित में तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के विस्तारीकरण के दृष्टिगत इस जमीन पर अनाधिकृत रूप से अध्यासित कब्जेदारों को भूमि को अतिशीघ्र खाली कर देना चाहिए। बाल्मिकी समाज सदस्यों द्वारा जनहित में भूमि को खाली कर के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं क्वीन मैरी चिकित्सालय के विस्तारीकरण हेतु मार्ग प्रशस्त किया है।

इससे पूर्व शाहमीना रोड के दुकानदारों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में इस आशय की याचिका दायर की गयी कि नगर निगम लखनऊ द्वारा भूमि को खाली किये जाने के संदर्भ में दिये गये आदेश पर स्थगन दिया जाना चाहिए। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मई 2016 को अपने एतिहासिक फैसले में आदेशित किया गया कि सम्बंधित भूमि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्वामित्व में है तथा नगर निगम को इस भूमि को अन्य पक्षकार को आवंटित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के द्वारा याचिका को बिना किसी स्थगन के खारिज कर दिया गया है।